

शहर को कचरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करे

स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 के तहत जवाहर स्कूल में आयोजित स्वच्छता

जागरुकता कार्यक्रम के तहत निगम आयुक्त ने छात्र—छात्राओं से किया आव्हान

रतलाम 20 फरवरी । शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल हर तरफ जारी है और हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 की रैंकिंग में रतलाम नगर पूरे देश में प्रथम आए। शहर में अस्वच्छता का सबसे बड़ा कारण इधर उधर फेका जाने वाला कचरा है इसके साथ ही अमानक प्लास्टिक के कारण भी नाले—नालियों का बहाव कम होकर वे अक्सर जाम हो जाते हैं। सफाई को लेकर नगर निगम जहां एक और अपना काम कर रहा है वही लोगों को जागरुक करने के लिए विभिन्न संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इसी तरह अमानक प्लास्टिक रखने वालों पर कार्रवाई के लिए भी अभियान शुरू हो चुका है। हम यही चाहते हैं कि इन दोनों अभियानों में प्रत्येक नागरिक विशेषकर युवाओं का सहयोग मिलता रहे।

शनिवार को शहर के वीरियाखेड़ी स्थित जवाहर उ.मा.लि में स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें स्वच्छता संदेश से जुड़े कार्यक्रमों और स्पर्धाओं में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर निकले जागरुकता रैली में नारे लगाए गए कि नया सवैरा लाएगे और रतलाम को स्वच्छ बनाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, एमके जैन, स्कूल प्राचार्य अनिता सागर आदि मौजूद रहे। इस मौके पर श्री सोमनाथ झारिया ने फीडबैक से जुड़े सवाल—जवाबों से भी छात्र—छात्राओं को अवगत कराते हुए सकारात्मक भाव से इसका उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहां कि स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कहां कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हर नागरिक की हिस्सेदारी होगी तभी स्वच्छता की दौड़ में रतलाम नम्बर—1 बनेगा। अतिथियों का स्वागत माधुरी फडनीस, शिवानी डामर, कमलसिंह, ज्योति शर्मा और अशोककुमार खत्री व अनिल पांचाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन मिथलेश कुमार मिश्र ने किया वही आभार राजेन्द्रसिंह राठोर ने माना।

करिश्मा और फिजा अब्बल रही

जवाहर उ.मा.वि. में स्वच्छ रतलाम, स्वस्थ्य रतलाम की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रांगोली, विवज, मेंहदी, भाषण, चित्रकला सहित आधा दर्जन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

यहां रांगोली प्रतियोगिता के दौरान फिजा मेव, चेतना प्रजापत, किर्ति और कु.नाजनीन को पुरुस्कृत किया गया। इसी तरह निबंध प्रतियोगिता में दीनदयाल, शिवानी, रवि वर्मा, कु.शमीम, मेंहदी स्पर्धा में करिश्मा, नाजनीन, कीर्ति और कु.शमीम ने बाजी मारी। इसी तरह चित्रकला स्पर्धा में रसिला मईड़ा, वर्षा सोंलकी, मो.अनस और ऋद्धु डोडियार अब्बल रहे इन सभी सफल हुए प्रतियोगियों को अतिथियों ने उपहार और सम्मान पत्र देकर पुरुस्कृत किया है।

आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका ऋषिराज चौहान, आशा शर्मा, माधुरी फडनीस, आरती त्रिवेदी, वंदना वर्मा, मिथलेश मिश्र, धर्मा कोठारी विनिता जैन ने निभाई।

जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया निरीक्षण

रतलाम 20 फरवरी । जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर कचरा पृथक्कीकरण व खाद् बनाने के कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितों को दिये।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने कचरा पृथक्कीकरण की फटका एवं बैलिंग मशीन का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि कचरा पृथक्कीकरण के कार्य में गति लाये जाये। इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने भूमि के समतलीकरण के निर्देश संबंधित को दिये।

इसके अलावा उन्होंने घर—घर से पृथक—पृथक कचरे एकत्रित कर लाये जा रहे कचरे का अवलोकन कर झायवर व क्लीनर को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक घर से पृथक—पृथक कचरा

एकत्रित करें साथ ही नागरिकों को समझाईश दें कि वे चार प्रकार के कचरे के लिये अपने घरों में चार कचरा पात्र अनिवार्य रूप से रखकर पृथक—पृथक कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में पृथक—पृथक डालें। साथ ही नागरिकों को यह भी समझाईश दें कि वे गीले कचरे से खाद बनाकर अपने उद्यान एवं गमलों में बनी हुई खाद का उपयोग कर नगर को साफ—स्वच्छ रखने के साथ पर्यावरण सुधार में अपना अमूल्य योगदान दे।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने ट्रेचिंग ग्राउण्ड में गीले कचरे से बनाई जा रही खाद के कार्य का अवलोकन कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश संबंधित को दिये।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

नगर निगम तिराहे से हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमण सामग्री जब्त कर चार दुकानदारों पर किया जुर्माना

रतलाम 20 फरवरी । नगर तिराहे पर दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से बनाये गये छज्जे, अवैध गुमटी व दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन व पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अतिक्रमण को हटाया जाकर दुकानदारों पर जुर्माना किया गया।

नगर निगम तिराहे के सामने दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से छज्जे निकाले हुए थे साथ ही अवैध गुमटी भी लगाई हुई थी इसके अलावा अपनी दुकान के बाहर सामग्री रखकर अतिक्रमण करने से यातायात प्रभावित होने से निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में अतिक्रमण को हटाया जाकर संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना भी किया गया।

अतिक्रमण करने पर इरफान खान पंचर वाला, शकील खान अण्डे वाला, विरेन्द्रसिंह चायवाला व वाहीद खान ऑटो गैरेज पर 1000—1000 का जुर्माना कर भविष्य में अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

उक्त कार्यवाही के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, राजस्व उप निरीक्षक श्री हरीश मिश्रा आदि उपस्थित थे।

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

13 फुटकर व्यवसायियों से 10 किलो पॉलीथीन जब्त कर किया जुर्माना

रतलाम 20 फरवरी । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल—फुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा छत्रीपुल व दो बत्ती क्षेत्र में दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग करने पर जैन किराना स्टोर दो बत्ती पर 200, अगम जरनल स्टोर दो बत्ती पर 100, इरफान, ईस्माईल, संजू, नानीबाई, भुरा, दो बत्ती, बाजेराम, चन्द्रप्रकाश, सुगना, नवकन्या,

सुगनाबाई, सीताबाई छत्रीपुल से लगभग 10 किलो पॉलीथीन जब्त कर 50-50 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईशा दी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही रतलाम 20 फरवरी। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

बोहरा बाखल में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 32,68,144/- संपत्तिकर व 7,13,535/- जलकर जमा कराया

रतलाम 20 फरवरी। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,88,000/- व जलकर 35,730/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 32,68,144/- संपत्तिकर व 7,13,535/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिंज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

669 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रत्नाम 20 फरवरी । रत्नाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 20 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 669 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 20 फरवरी को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास व जवाहर नगर मुक्तिधाम से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 121 दिनों में 147 वॉल्व व 844 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रत्नाम 20 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 20 फरवरी तक 147 वॉल्व व 844 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रत्नाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 20 फरवरी शनिवार को सैलाना रोड साक्षी पेट्रोल पम्प के पास, महेश नगर, मोती नगर, सज्जन मिल रोड, टैकर रोड, महावीर नगर टंकी के पास, थावरिया बाजार रामदेवजी वाली गली, प्रताप नगर, हाकमवाड़ा व महालक्ष्मी नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रत्नाम 20 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रत्नाम 20 फरवरी । रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रत्नाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का

फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 20 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 20.02.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.